एम डी तकीनीक कारणों से जलायी जा रही है। शेष मात्रा के दहन को कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं चरणों में क्रियान्वित की जा रही है और उसी सीमा तक अतिरिक्त मांग पूरी की जाएगी।

भारत-पाक सीमा पर तेल अनुसंधान परियोजनायें

1763. **श्री अजीत जोगी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर चलाई जा रही तेल अनुसंधान परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) क्या उस क्षेत्र में गैस तथा हाइड्रोकार्बन की भी खोज की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर पता लगाये गये तेल, गैस तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) उस सीमावर्ती क्षेत्र में तेल, गैस तथा हाइड्रोकार्बन भंडारों के दोहन के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा): (क) तेल एवं प्रकृतिक गैस आयोग द्वारा लूनार क्षेत्र में लूनार-2 स्थान (एल यू ए वी) में अन्वेषण वेधन प्रचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लैंग क्षेत्र तथा मियाजलार के पूर्व में दो विभागीय भूकंपीय पार्टियां भूकंपीय आंकड़े के अर्जन में लगी है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा बीकानेर-नागौर बेसिन में बघेवाला में अन्वेषण वेधन किया जा रहा है।

(ख) जी, हां

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1.4.1993 तक प्राकृतिक गैस के 2.15 बिलियन घन मीटर भूगर्भीय भण्डारों को स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त आयल इंडिया लिमिटेड ने 1.1.93 तक 8.1 एम एम टी हैवी तेल और 6.91 बी सी एम प्राकृतिक गैस के भूगर्भीय भंडार स्थापित किया है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्वेषित मनहेड़ा डिब्बा और धोटारू अवसंरचनाओं से निकली गैस राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को दिए जाने की वचनबद्धता की गई है। रामगढ़ में खोले जाने के लिए प्रस्तावित गैस आधारित विद्युत संयंत्र के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड को लगभग 0.55 एम एम एस सी एम डी गैस आयल इंडिया लि० द्वारा दिये जाने की भी वचनबद्धता की गई है। जहां तक भारी तेल का संबंध है, कनाडा की आल्बर्टा रिसर्च काउंसिल द्वारा उपयुक्त उत्पादन तकनीक के लिए अध्ययन जारी है। साथ ही साथ बघेवाला भारी तेल क्षेत्र का अन्वेषित क्षेत्रों के प्रथम दौर में संयुक्त उद्यम कम्पनी विकास के लिए प्रस्ताव किया गया है।

Direction from Ministry of Petroleum to their undertaking

1764. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the Ministry of Petroleum & Natural Gas has issued a direction to the undertakings under them to keep in abeyance all tenders where the particular biddings of Bombay are being lowest;

(b) how this help ONGC, Oil and GAIL when the country is spending huge foreign exchange due to delay in execution of projects;

(c) what is the procedure for issuing such ban or abeyance orders;

(d) whether the bidders who are affected are called to explain their conduct which leads to delay;

(e) what is the number of Show Cause Notices issued to such bidders; and

(f) under what law or rule above practice of holding tenders in abeyance are practiced?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) to (f) Government can keep in abeyance, in public interest, transactions with parties found to have violated laws and regulations. Due process of law will be followed before arriving at a final decision in the matter.